म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्र./बोर्ड/यो./गैर.तक./71/2014–15/3202 भोपाल, दिनांक 22/10/2014

आदेश

मध्यप्रदेश राज्य कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 81 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बोर्ड–4/2/योजना/71/210 दिनांक 28/1/2008 के अंतर्गत कृषि विपणन पुरस्कार योजना के बिन्दु **क्रमांक–7** योजना के संबंध में संशोधन करने हेतु सक्षम प्राधिकारी प्रबंध संचालक, मंडी बोर्ड हैं।

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए प्रदेश की समस्त कृषि उपज मंडी समितियों को निर्देशित किया जाता है कि कृषि विपणन पुरस्कार योजना के अंतर्गत कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा पुरस्कार का ड्रा लॉटरी पद्वति द्वारा प्रत्येक वर्ष में 2 बार 01 फरवरी से 31 जुलाई तक जारी भुगतान पत्रकों का ड्रा बलराम् जयंती को तथा 01 अगस्त से 31 जनवरी तक जारी भुगतान पत्रकों का ड्रा नर्मदा जयंती को निकाला जायेगा। यदि किसी कारणवश घोषित तिथि में कृषि विपणन पुरस्कार योजना के ड्रा नही निकाले जा सके तब ऐसी स्थिति में योजना अनुसार ड्रा निकाले जाने हेतु आगामी तिथि निर्धारित करने का अधिकार सचिव, कृषि उपज मंडी समिति को प्रत्यायोजित किया जाता है। योजना की शेष शर्तें यथावत रहेगी। यह आदेश जारी दिनांक से प्रभावशील होगा।

(अरूण पाण्डेय)
प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र./बोर्ड/यो./गैर.तक./71/2014–15/3203–08 भोपाल, दिनांक 22/10/2014

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(1) विशेष सहायक, मान0 अध्यक्ष, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
(2) अपर संचालक (समस्त), म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
(3) मुख्य अभियंता, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
(4) संयुक्त संचालक/उप संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
(5) संयुक्त संचालक/उप संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय ....(समस्त)
(6) अध्यक्ष/सचिव, कृषि उपज मंडी समिति.............................जिला.............................. (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल